## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 61/17 GCMS NO 2017/00130

रामलाल पुत्र गटोली जाति मीना निवासी आमली की ढाणी (बगीदा) तहसील सपोटरा जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. गटोली पुत्र नानग्या जाति मीना निवासी आमली की ढाणी (बगीदा) तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 63/15 निर्णय व डिकी दिनांक 6.6.2017 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नेमीचंद गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 14.10.2024

### निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 6.6.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 332, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 351, 355, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 365 ,366, 368/918, 369, 370,371,384 कुल किता 22 कुल रकबा 32 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम वगीदा वादी/रेस्पो0 की खातेदारी है। जिसमे काश्त करने मे प्रतिवादी/अपीलाट अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उसे काश्त करने मे अवरोध उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी गटोली की और से जबाव दावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी गटोली/अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे वादी द्वारा दिनांक 5.6.17 को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समझोता होना अंकित कर वाद को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया परन्तु अपीलांट/प्रतिवादी गटोली द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को जमाबंदी सम्वत 2068–71 के मुताबिक वादी को विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार मानकर प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टर क्लेम विधि विरूद्व खारिज किया गया है। क्योकि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 गटोली की पुश्तैनी एवं संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी है जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी गटोली का नोशनल शेयर है। विवादित आराजी वादी/रेस्पो0संख्या 1 की सेपरेट खातेदारी एवं कब्जे काश्त की नही है। अपीलांट उक्त आराजीयात को काश्त कर रहा है और काबिज काश्त है। अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 का पुत्र है। वादी/रेस्पो0संख्या 1 90 वर्ष का वृद्व है जो काबिल काश्त नही है वादी/रेस्पो0 न0 1 उक्त आराजी को रहन वय करने पर आमादा है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी/रेस्पो0संख्या 1 को अपीलांट के कब्जे काश्त मे कोई अवरोध उत्पन्न नही करने एवं रहन बय नही करने की इस्तदुआ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर दावा वास्ते साक्ष्य वादी मे दिनांक 3.5.17 को नियत किया गया था दिनांक 3.5.17 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे चली जाने से कोई तारीख पेशी नही दी गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत दिनांक 6.6.17 को कैम्प वगीदा मे प्रस्तुत हुई। अपीलांट ने राजस्व लोक अदालत मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है जिस पर काबिज काश्त हूँ मेरा काउन्टर दावा स्वीकार फरमाया जावे इस प्रकार की रिलीफ चाही गई। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का काउन्टर क्लेम गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। दावा साक्ष्य वादी मे लंबित रहते हुए काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अपीलांट की पुश्तैनी सिद्व होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर दावा गलत रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट का रेस्पो0न0 1 पिता [illegible] का विवादित आराजीयात मे नोशनल शेयर होते हुए भी काउन्टर [illegible] किया गया है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आराजीयात [illegible] वगीदा मे अपीलांट के काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने मे रेस्पो0संख्या 1/वादी कोई अवरोध उत्पन्न नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा उक्त आराजीयात को रहन वय एवं दीगर तरीके से ट्रासंफर नही करे।

अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 गटोली की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जो राजस्व रिकार्ड सम्वत 2068–71 से सिद्व होता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस मे पिता–पुत्र है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद पत्र को आपस मे राजीनामा होने से आगे नही चलाने बाबत दिनांक 5.6.17 को प्रस्तुत किया गया है परन्तु उस प्रार्थना पत्र पर सहमति स्वरूप प्रतिवादी/अपीलांट के हस्ताक्षर नही है जिससे यह सिद्व हो सके की समझोता किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तनकीयात कायम कर दावा वादी साक्ष्य मे नियत किया गया था। कायम तनकीयात मे तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्व करने का भार वादी पर एवं तनकी संख्या 3 ता 5 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर कायम किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादा वादी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.6.17 के आधार पर खारिज किया गया है परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टर क्लेम केवल राजस्व रिकार्ड सम्वत 2068–71 की खातेदारी वादी/रेस्पो0 संख्या 1 गटोली के नाम होने से खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है ना ही जो तनकीयात प्रतिवादी न0 1/अपीलांट को सिद्व करने हेतु भारित की गई थी उन पर किसी प्रकार का कोई विवेचन/विश्लेषण नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतःअपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतःअपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के प्रकरण संख्या 63/15 निर्णय एवं डिकी दिनांक 6.6.17 को आपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन विश्लेषण करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/24

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(लक्ष्मी कांत बलोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner